न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 7/2018

1. चन्द्र कला उर्फ चन्द्रेश पुत्री कान्ही जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल हाल निवासी पीपल्दा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. संन्तोष पुत्री कान्हा जाति मीणा निवासी श्यामपुरा हाल निवास खजुरनाकलां तहसील अन्ता जिला बारां

.... प्रार्थीयागण

♠ बनाम ♠

1. बरफा बाई पत्नि बाबूलाल जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
2. भोली बाई पुत्री मांग्या जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
3. रामदयाल पुत्र धन्नालाल जाति मीणा निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थीगण

<u>दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट</u>

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)
वकील प्रार्थीयागण : श्री अजीत कुमार जैन

निर्णय दिनांक : 21.06.2018

दायर दिनांक–15.02.2018

प्रास्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम श्यामपुरा में साबिक जमाबंदी सम्वत 2049–52 में सावलीलाल, श्योपाल पुत्र श्यामा सावली पुत्री श्यामा हिस्सा 1/3 धन्नालाल पुत्र रघुनाथ हिस्सा 1/3 पन्ना पुत्र गोपीलाल हिस्सा 1/6 बच्ची बेवा मांग्या, कान्ही भेरी पुत्री मांग्या हिस्सा 1/6 बच्ची बेवा मांग्या, कान्ही भेरी पुत्री मांग्या हिस्सा 1/6 खाता संख्या 80 में खसरा नं0 423 रकबा 2.46 है0 खसरा नं0 424 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 425 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 426 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 427 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 444 रकबा 2.99 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 6.59 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीयागण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से हैः–

बच्ची बेवा सावली (फौत)
- कान्ही पुत्री फोत
  - सन्तोष पुत्री
  - चन्द्रेश उर्फ चन्द्रकला
- भोली बाई पुत्री

बच्ची बाई बेवा मांग्या फोत होने के बाद खातेदार बच्ची व कान्ही के कोई जाइन्दा पुत्र नही था तथा प्रार्थीयागण उस समय नाबालिग अवस्था में थी जिसका अंकन नामान्तरण संख्या 21 में दर्ज हो रहा है

च्चीबाई के फोत हो जाने के बाद प्रार्थीयागण की मोसी भोली बाई अप्रार्थी कम 2 ने मिली भगत तक खातेदार बच्ची बाई से अपने नाम अनरजिस्टर्ड वसीयत अपने पक्ष में करवा ली तथा उसकों पेश र अपने नाम नामांतरण दर्ज करने का आवेदन किया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरण 21 दर्ज किया है जिसमें अनरजिस्टर्ड होने का हवाला देते हुये प्रार्थीयागण को मृतक खातेदार बच्ची बाई के सजरे में अंकित किया है। तथा कानूनगो द्वारा भी मृतक कान्ही की पुत्रीया मौजूद होने का अंकन नामान्तरण में किया है किन्तु अनरजिस्टर्ड वसीयत की बिना जांच किये नामान्तरण संख्या 21 तस्दीक कर मृतक बच्चीबाई के स्थान पर भोली पुत्री बच्ची का नाम दर्ज कर दिया गया है। जो गलत है। क्याकि उपरोक्त वर्णित आराजी पैतृक है। जो वसीयत कर्ता की स्वअर्जित सम्पत्ति नही है। इसलिए उपरोक्त वर्णित आराजी में प्रार्थीयागण का नाम मुताबिक हिस्सा दर्ज किया जाकर खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है जिसकी प्रार्थीयागण कानूनन अधिकारणी व नालिसी है। यह कि अन्य आराजी खाता संख्या 111 की किता 8 रकबा 3.26 है0 ग्राम हरसोली में प्रार्थीयागण का नाम मृतक कान्ही के स्थान पर जर्ये नामान्तरण संख्या 287 से दर्ज हो चुका है जिसमें यह साबित है कि प्रार्थीयागण मृतक खातेदार बच्ची की पुत्री कान्ही की वारिसान है। इसलिए उपरोक्त वर्णित आराजी जो वाद पत्र में वर्णित है में भी प्रार्थीयागण का नाम दर्ज होना चाहिए जिसकी प्रार्थीयागण कानूनन अधिकारणी व नालिसी है। आराजी खाता संख्या 111 ग्राम हरसोली जिसमें खातेदार बच्ची बेवा मांग्या भी फोत हो चुकी है जिसके हिस्से की आराजी में भी मेरे पक्षकारान का हक निहित है। इसलिए मृतक बच्ची के हिस्से की आराजी में से हिस्सा 1/2 पर प्रार्थीयागण को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर मृतक बच्ची का नाम खाते से डिलिट कर प्रार्थीयागण को खाता संख्या 111 में हिस्सा 1/2 का खातेदार कृषक घोषित किया जाना का न्याय हित में आवश्यक है जिसकी प्रार्थीयागण कानूनन अधिकरणी व नालिसी है। प्रार्थीयागण का उपरोक्त वर्णित आराजी ग्राम श्यामपुरा व हरसोली का खाता जो शामलाती है जिस पर आये दिन कर्ता पिलाई व रास्ता धोरा मेंढ बन्दी को लेकर आये दिन सहखातेदारान से विवाद होता रहता है इसलिए प्रार्थीयागण अपने हिस्से को पृथक खाते दर्ज करवाना चाहती है जिसकी प्रार्थीयागण कानूनन अधिकारणी व नालिसी है। अप्रार्थी कम 2 का नाम खाता संख्या वर्तमान 55 में अपना नाम दर्ज होने से तथा प्रार्थीयागण का नाम खाते में नही होने से वह प्रार्थीयागण की आराजी को रहन बेचान करने की धमकी देती है इसलिए प्रार्थीयागण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अप्रार्थीगणको माननीय न्यायालय से ता फैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये जिसकी प्रार्थीयागण कानूनन अधिकारणी व नालिसी है। अतः निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम श्यामपुरा तह0 मांगरोल की आराजी खाता संख्या 80 में खसरा नं0 423 रकबा 2.46 है0 खसरा नं0 424 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 425 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 426 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 427 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 444 रकबा 2.99 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 6.59 है0 मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2049–52 आराजी को रहन बेचान नही करें प्रार्थीयागण को उनकी हक काश्त आराजी पर शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे।

...त आशय की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 15.02.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर ...गया। प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। सम्मन की तामिली प्रति शामिल फाईल है। ...जूद सूचना अप्रार्थीगण आज दिनांक तक अनुपस्थित है अतः अप्रार्थीगण कम 1 ता 3 को एक्स पार्टी करते हुए उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन से प्रार्थीयागण का ग्राम श्यामपुरा तह0 मांगरोल की आराजी खाता संख्या 80 में खसरा नं0 423 रकबा 2.46 है0 खसरा नं0 424 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 425 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 426 रकबा 0. 65 है0, खसरा नं0 427 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 444 रकबा 2.99 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 6.59 है0 में हिस्सा 1/2 जाहिर होता है। अतः प्रार्थीयागण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी कम 1 ता 4 को ता फैसला वाद जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि ग्राम श्यामपुरा तह0 मांगरोल की आराजी खाता संख्या 80 में खसरा नं0 423 रकबा 2.46 है0 खसरा नं0 424 रकबा 0.67 है0, खसरा नं0 425 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 426 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 427 रकबा 0.65 है0, खसरा नं0 444 रकबा 2.99 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 6.59 है0 को रहन बेचान ना करें और ना ही किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प बमोरीकलां मजमेंआम में सुनाया गया।